तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 71/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
02.9.2024	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (प्रवीण सिंह पुत्र बाबुसिंह जी, मैनेजर, फर्म होटल रॉयल पैलेस, पुराना टोल नाका के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (संजय सिंघल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी, फर्म होटल रॉयल पैलेस, पुराना टोल नाका के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.2.2021 को फर्म होटल रॉयल पैलेस, पुराना टोल नाका के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी प्रवीण सिंह पुत्र बाबुसिंह जी, मैनेजर, होटल रॉयल पैलेस, पुराना टोल नाका के पास, माउन्ट आबू से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil का नमूना संख्या S-1437 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./392/ACT/2021/490 दिनांक 09.7.2021 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये, लेकिन प्रतिवादीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.6.2021 को समय 5.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म होटल रॉयल पैलेस, पुराना टोल नाका, माउन्ट आबू, जिला–सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर की हैसियत से प्रतिवादी प्रवीणसिंह पुत्र बाबुसिंह जी उपस्थित मिले। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा होटल रॉयल पैलेस, पुराना टोल नाका, माउन्ट आबू के निरीक्षण के दौरान आम जनता के खाना बनाने हेतु उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर प्रतिवादी मैनेजर प्रवीणसिंह पुत्र बाबुसिंह को गवाह श्री विशालसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल के अन्दर रखे हुए खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil के 5 लीटर के एक खुले टीन में से 1600 ग्राम Refined Soyabean Oil को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत [illegible] एवं उसकी कीमत राशि .....लगातार	

न्यायालय प्रा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रा०. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:15 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 71/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	रुपये 267/– (अक्षरे रुपये दो सौ सडसठ मात्र) प्रतिवादी मैनेजर प्रवीणसिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1437, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil का नाम आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी मैनेजर प्रवीणसिंह व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने प्रतिवादी मैनेजर प्रवीणसिंह व गवाह को चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों को दिखाकर खरीदशुदा Refined Soyabean Oil को चारों शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर चारों शीशीयों को अलग अलग ढ़क्कन से एटयटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1437 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी मैनेजर व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा दिनांक 28.6.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 26.6.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म होटल रॉयल पैलेस, पुराना टोल नाका के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर प्रवीणसिंह से खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil के नमूना संख्या S-1437 की प्राप्त जांच रिपोर्ट ......लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:15 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 71/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	क्रमांकःL.S./392/Act/2021/490 दिनांक 09.7.2021 में खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil का नमूना संख्या S-1437 अमानक (sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि फर्म होटल रॉयल पैलेस, पुराना टोल नाका के पास, माउन्ट आबू में प्रतिवादी मैनेजर प्रवीणसिंह द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil के विक्रय हेतु प्रतिवादी फर्म होटल रॉयल पैलेस, पुराना टोल नाका के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, फर्म होटल रॉयल पैलसे, पुराना टोल नाका के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही के नॉमिनी संजय सिंघल (प्रतिवादी संख्या–2) को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 08.10.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:15 IST
Reason: SelfAttested